हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 97

सोमवार, 29 फरवरी, 2016/10 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 2.00 बजे (अपराह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक के प्रारम्भ होते ही श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मैंने 25 फरवरी, 2016 को नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था जो कि प्रदेश में अवैध कब्ज़ों पर लगाए गए सेब के बागीचों से सेब के पेड़ों को काटा जा रहा है, लोगों के घरों में बिजली तथा पीने के पानी के कनैक्शनज़ को काटा जा रहा है, के बारे में था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रदेश के गरीब लोगों से जुड़ा विषय है जिस पर सारा कार्य रोक कर तुरन्त चर्चा करवाई जानी चाहिए। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने भी उनकी बात का समर्थन किया।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं नियम-67 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा एलाऊ नहीं करूंगा। लेकिन नियम-63 के तहत इस पर चर्चा की जा सकती है जिसकी सभी माननीय सदस्यों ने सहमति दी।

<u>02.25 PM</u>

1. <u>प्रश्नोत्तरः</u>

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2364, 2472 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2614 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2613 का उत्तर सम्बन्धित मंत्री द्वारा दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 2617 से 2636 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1150 से 1161 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>03-00 PM</u>

2. <u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः</u>

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 29 फरवरी, 2016 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

<u>03-03 PM</u>

3. <u>अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2015-2016 पर सामान्य चर्चा, मतदान एवं पारणः</u>

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धन राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं?

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।

4. विधायी कार्यः

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

माननीय मुख्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित किया।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।
अनुसूची विधेयक का अंग बनी।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) पारित हुआ।

03-10 PM

5. **नियम-63 के अन्तर्गत चर्चा।**

श्री महेन्द्र सिंह ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

> **"प्रदेश में लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लगाए गए सेब के पौधों के कटान बारे यह सदन चर्चा करे।"**

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः

i. श्री जगत सिंह नेगी, मा0 उपाध्यक्ष
ii. श्री बिक्रम सिंह
iii. श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
iv. श्री जय राम ठाकुर
v. श्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव
vi. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
vii. श्री बलबीर सिंह वर्मा
viii. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
ix. श्री महेश्वर सिंह
x. श्री नरेन्द्र ठाकुर

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री महेन्द्र सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

6. **<u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव- प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा</u>**

श्री जगजीवन पाल ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा चर्चा की :-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

(सदन की बैठक सांय 6.00 बजे मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)